Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142-2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 27, 2018 (BHADRA 5, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th August, 2018

No. 26-HLA of 2018/52/18232.— The Punjab Land Improvement Schemes (Haryana Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 26- HLA of 2018

THE PUNJAB LAND IMPROVEMENT SCHEMES (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Punjab Land Improvement Schemes Act, 1963 in its application to the State of Haryana.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Punjab Land Improvement Schemes (Haryana Amendment) Act, 2018.

Insertion of sections 15A and 15B in Punjab Act 23 of 1963.

2. After section 15 of the Punjab Land Improvement Schemes Act, 1963, the following sections shall be inserted, namely:-

"15A. Laying of underground pipeline or repair or renovation of existing underground pipeline.- (1) Where the State Government or a farmer or a group of farmers intend to lay an underground pipeline or repair or renovation of existing pipeline through the holding of any other land owner for the purpose of irrigation on its, his or their holdings and the matter is not settled by mutual agreement, then the District Level Committee may, by order, allow the State Government or the farmer or the group of farmers, as the case may be, to lay pipeline or repair or renovation of existing pipeline, at least three feet beneath the surface of the land along the demarcated line on payment of compensation arising out of damage to crop or any structure of the land owner. The amount of compensation to be paid to the land holder through whose land the pipeline is to be laid or repaired or renovated shall be as per assessment of damage determined by the

District Level Committee and its decision shall be binding upon all the parties. The pipeline shall be used for irrigation and the right of land owners in the event of change of land use for non-agriculture purposes shall not be compromised.

(2) The State Government or the farmer or the group of farmers, as the case may be, shall submit a written application to the District Level Committee mentioning the land and its owner's details through which the pipeline shall be laid or repaired or renovated and line demarcated for such work alongwith the damage as shall be caused to the crop or any structure in way of demarcated line.

(3) The State Government or the farmer or the group of farmers, as the case may be, permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

(4) The State Government or the farmer or the group of farmers, as the case may be, to whom such facility is granted, shall also restore the land to the satisfaction of the land holder after laying, repair or renovation of underground pipeline.

15B. Constitution of District Level Committee.- (1) There shall be constituted a Committee to be called the District Level Committee in every district for granting compensation to the landowner, consisting of the following, namely:-

(i)	Deputy Commissioner	Chairman
(ii)	Divisional Soil Conservation Officer	Member-Secretary
(iii)	District Revenue Officer	Member
(iv)	Executive Engineer, Public Works Department (Buildings and Roads)	Member
(v)	Divisional Forest Officer	Member

(2) The Member-Secretary shall convene the meeting of the District Level Committee on receipt of application to lay underground pipeline or repair or renovation of existing pipeline.

(3) Four members including the Chairman and the Member-Secretary shall form the quorum for a meeting of the District Level Committee.

(4) All questions before the District Level Committee shall be decided according to the opinion of the majority of the members present and voting. In the case of equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Punjab Land Improvement Scheme Act, 1963 was enacted for smooth execution of the land improvement schemes pertaining to soil conservation initiatives, mitigation of soil erosion, protection of land against damaged by floods or drought, from drainage or other works incidental to or connection with such purposes. The Govt. of Haryana adopted the Act in 1968. The 54% of the underground water in the State is brackish in nature/quality and not fit for irrigation of agricultural crops, the irrigation efficiency of agriculture can be achieved through supply of underground pipeline based irrigation water to the agriculture fields. There is a huge demand for laying of underground pipeline which usually passes through the agriculture field of numbers of farmers. Around 15,000 farmers submit application to the Department of Agriculture and Farmers Welfare for availing subsidy on Underground Pipeline System. There is difficulty in actual laying of Underground Pipeline due to opposition from certain farmers. The amendment/incorporation in the aforesaid Act would facilitate the farmers for laying out underground pipeline passing through the fields of other farmers. Therefore, the necessary amendment within "Punjab Land Improvement Schemes Act, 1963 amended by Haryana Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1968" will be required.

OM PRAKASH DHANKAR,
Agriculture and Farmer Welfare Minister, Haryana.

_____

Chandigarh:
The 27th August, 2018.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 26-एच०एल०ए०

पंजाब भूमि सुधार स्कीम (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018

पंजाब भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1963
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम पंजाब भूमि सुधार स्कीम (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

1963 का पंजाब अधिनियम 23 में धारा 15क तथा 15ख का रखा जाना।

2. पंजाब भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1963 की धारा 15 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:–

''15क. भूमिगत पाइपलाइन बिछायी जाना या विद्यमान भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत या नवीकरण.– (1) जहां राज्य सरकार या किसान या किसानों का समूह अपनी, उसकी या उनकी जोत पर सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य भू–स्वामी की जोत के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या विद्यमान भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत या नवीकरण करना चाहता है तथा पारस्परिक करार द्वारा मामले का निपटान नहीं किया गया है, तो जिला स्तरीय समिति, आदेश द्वारा, राज्य सरकार या किसान या किसानों का समूह, जैसी भी स्थिति हो, को भू–स्वामी की फसल या किसी संरचना को नुकसान से उत्पन्न होने वाले प्रतिकर के भुगतान पर सीमांकन रेखा के साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या विद्यमान पाइपलाइन की मरम्मत या नवीकरण करने के लिए अनुमत कर सकती है। भूमि धारक, जिसकी भूमि के बीच से पाइपलाइन बिछायी जानी है या मरम्मत या नवीकरण की जानी है, को भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की राशि, जिला स्तरीय समिति द्वारा अवधारित नुकसान के निर्धारण के अनुसार होगी तथा इसका विनिश्चय सभी पक्षकारों पर बाध्य होगा। पाइपलाइन, सिंचाई के लिए उपयोग की जाएगी तथा गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन की दशा में भू–स्वामियों के अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार या किसान या किसानों का समूह, जैसी भी स्थिति हो, भूमि तथा इसके स्वामियों के ब्यौरे, जिसके बीच से पाइपलाइन बिछाई या मरम्मत या नवीकृत की जाएगी, वर्णित करते हुए जिला स्तरीय समिति को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा सीमांकित रेखा के रास्ते में फसल या किसी संरचना को हुए नुकसान सहित ऐसे कार्य के लिए रेखा सीमांकित की जाएगी।

(3) राज्य सरकार या किसान या किसानों का समूह, जैसी भी स्थिति हो, जिसे उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं सुविधाओं को उपभोग करने के लिए अनुमत उक्त सुविधा के फलस्वरूप, जोत में किसी अन्य अधिकार, जिसके माध्यम से ऐसी सुविधा प्रदान की गई है, का अर्जन नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार या किसान या किसानों का समूह, जैसी भी स्थिति हो, जिसे ऐसी सुविधा प्रदान की गई है, भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, मरम्मत या नवीकरण करने के बाद भूमि धारक की संतुष्टि के अनुसार भूमि को प्रत्यावर्तित भी करेगा।

15ख. जिला स्तरीय समिति का गठन.– (1) भू–स्वामी को प्रतिकर देने के लिए निम्नलिखित से मिलकर प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति के नाम से ज्ञात समिति का गठन किया जाएगा, अर्थात् :–

(i)	उपायुक्त	अध्यक्ष
(ii)	मण्डल मृदा संरक्षण अधिकारी	सदस्य–सचिव
(iii)	जिला राजस्व अधिकारी	सदस्य
(iv)	कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	सदस्य
(v)	वन मण्डल अधिकारी	सदस्य

(2) सदस्य–सचिव, भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या विद्यमान पाइपलाइन की मरम्मत या नवीकरण के आवेदन की प्राप्ति पर जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाएगा।

(3) चार सदस्य, जिसमें अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव भी शामिल हैं, जिला स्तरीय समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

(4) जिला स्तरीय समिति के सम्मुख सभी प्रश्न, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे। मतों की समानता की दशा में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंजाब भू–सुधार स्कीम अधिनियम, 1963 बाढ़ या अनावृष्टि द्वारा, जल निकास से या ऐसे प्रयोजनो से आनुषंगिक या उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के विरुद्ध भूमि संरक्षण अभिक्रम, भूमि कटाव को कम करने, भूमि के संरक्षण से सम्बन्धित भूमि सुधार स्कीमों के निबोध निष्पादन के लिए अधिनियमित किया गया था। हरियाणा सरकार ने इस अधिनियम को 1968 में अपनाया था। राज्य में 54 प्रतिशत भूमिगत जल प्रकृति/गुणवत्ता में खारा है तथा कृषि फसलों की सिचाई के लिए उचित नही है, कृषि सिंचाई क्षमता को कृषि खेतों मे भूमिगत पाईपलाईन के आधार पर सिंचाई जल की आपूर्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भूमिगत पाईपलाईन बिछाने की बहुत अधिक मांग है जो कि साधारणतया बहुत से किसानों के कृषि खेतो में से गुजरती है। लगभग 15000 किसानों ने भूमिगत पाईपलाईन प्रणाली पर अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग को आवेदन प्रस्तुत किए हैं। कुछ किसानों के विरोध के कारण भूमिगत पाईपलाईन को वास्तव में बिछाने में कठिनाई होती है। पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन/समावेश दूसरे किसानों के खेतों के माध्यम से गुजरने वाली भूमिगत पाईपलाईन को बिछाने के लिए किसानो को मदद देगा। इसलिए पंजाब भू–सुधार स्कीम अधिनियम, 1963–(हरियाणा विधि अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा संशोधित) अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

ओम प्रकाश धनखड़,
कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 अगस्त, 2018.

आर० के० नांदल,
सचिव।

56497—H.V.S.—H.G.P.,Chd.